सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

5 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 73 राँची, शुक्रवार, 25 जनवरी, 2019 (ई०)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

अधिसूचना

22 जनवरी, 2019

संख्या-4/व05-01/2016/266-- श्री पुरेन्द्र विक्रम शाही, (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2) तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, कोडरमा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध पदस्थापन काल में शिक्षक नियुक्ति में बरती गई अनियमितता के संबंध में उपायुक्त, कोडरमा द्वारा गठित जिला स्तरीय जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री शाही के द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2014 में निहित प्रावधानों एवं कार्मिक, प्रशानिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची द्वारा निर्गत स्थानीयता एवं आरक्षण के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए कई शिक्षकों की अनियमित नियुक्ति करने तथा उक्त में से 9 (नौ) अभ्यर्थियों की नियुक्ति अवैध पाये जाने के कारण उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने के मामले में श्री शाही को विभागीय अधिसूचना संख्या- 609 दिनांक 26 अगस्त, 2016 के द्वारा निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन किया गया।

1. उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री शाही के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या-08 दिनांक 06 जनवरी, 2017 एवं उक्त क्रम में निर्गत संकल्प संख्या-91 दिनांक 02 फ़रवरी, 2018 के द्वारा झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 के वर्णित प्रावधानों के आलोक में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. अंकनीय है कि श्री शाही दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 को सेवानिवृत हो चुके है अतएव उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को झारखंड पेंशन नियमावली-2000 के नियम-43(ख) के तहत रूपांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

3. चूँकि श्री शाही के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी से ससमय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ अतएव राज्य शिक्षा के निलंबित पदाधिकारियों के निलंबन की समीक्षा हेतु विभागीय आदेश-सह-ज्ञापांक-682 दिनांक 05 अक्टूबर, 2016 एवं उक्त क्रम में निर्गत आदेश-सह-ज्ञापांक-321 दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 14 जून, 2017 को किये समीक्षा के क्रम में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-527 दिनांक 26 जुलाई, 2017 के द्वारा श्री शाही को निलंबन मुक्त किया गया।

4. श्री शाही के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के संचालनोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-282(अनु०) दिनांक 26 अक्टूबर, 2018 के द्वारा प्रतिवेदित जाँच निश्कर्ष में आरोपित पदाधिकारी के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के आधार पर आरोपित पदाधिकारी के विरोधाभाषी कथन के आधार पर अपने उत्तरदायित्वो के निवर्हन सफलता पूर्वक करने में असफल रहने के आरोप को प्रमाणित किया गया।

5. उपर्युक्त प्रमाणित आरोप के लिए श्री शाही से नैसर्गिक न्याय के तहत अवसर प्रदान करते हुए उनसे कारण पृच्छा प्राप्त की गई। प्राप्त उपर्युक्त कारण पृच्छा के उच्च स्तरीय सम्यक समीक्षोपरांत श्री शाही के विरूद्ध विरोधाभाषी बयान के लिए आरोप को प्रमाणित पाये जाने तथा मूल रूप से गठित प्रपत्र-'क' में वर्णित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण श्री शाही को आरोप मुक्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है। साथ ही, उक्त लिए निर्णय के आलोक में श्री शाही निलंबन अवधि के लिए पूर्ण वेतन के हकदार होंगें।

7. उपर्युक्त लिये गये निर्णय के आलोक में श्री शाही के विरूद्ध उपर्युक्त संचालित विभागीय कार्यवाही निस्तारित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

देवेन्द्र भूषण सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 73 -- 50